राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग,

शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2025–26

20.1.2026

(जोगाराम पटेल)
मंत्री

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2025–26

विधि विभाग, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में एक महत्वपूर्ण विभाग है।विधि विभाग द्वारा राज्य के प्रयोजनार्थ विभिन्न विधिक मामलों में राय देने, विधायी प्रारूपण, विधि संहिताकरण, प्रचलित विधि के प्रकाशन की व्यवस्था संचालित की जाती है। लोक अदालत एवं विधिक सहायता संबंधित मामलो के सन्दर्भ में भी प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है। विधि विभाग, राज्य सरकार के समस्त विधिक कार्यों की देखभाल का दायित्व निर्वहन करता है।

विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव है तथा विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव के अधीन शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण), विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विधि (वादकरण), विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विशिष्ठ शासन सचिव, (विधि रचना संगठन) एवं संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त शासन सचिव, विधि, एवं उप शासन सचिव कार्यरत है।

विधि विभाग, माननीय विधि मंत्री महोदय के निर्देशन में कार्य करता है। विधि एवं विधि कार्य विभाग राज्य के विधिक कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के संवर्ग में कुल 746 पद एवं राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के संवर्ग में कुल 35 पद है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा

विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव है तथा इनके नियंत्रणाधीन विधि विभाग के निम्नलिखित अनुभाग कार्यालय है जिनके अध्यक्ष निम्नानुसार हैः–

1. **विधि, (राजकीय वादकरण)**
   - i. शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी
   - ii. विशिष्ठ शासन सचिव, एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विधि (वादकरण)
2. **विधि रचना संगठन**
   - i. विशिष्ठ शासन सचिव (विधि रचना संगठन)एवं संयुक्त विधि परामर्शी,
   - ii. उप सचिव एवं उप निर्देशक
3. **विधि (ग्रुप–2) विभाग/विधायी प्रारूपण/संहिताकरण विभाग**
   - i. विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी
   - iiउप सचिव (ग्रुप–2)
   - iiiउप सचिव (वि.प्रा.–I)
   - iv उप सचिव (वि.प्रा.–II)
   - v उप सचिव (संहिताकरण विभाग)
4. **विधि (प्रारूपण) विभाग**
   - i. विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी
   - ii. संयुक्त विधि परामर्शी
5. **विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी**
6. **विधि एवं विधिक कार्य विभाग (अनुभाग–1)**
   - i संयुक्त शासन सचिव
   - iiउप शासन सचिव

2/10/2026

विधि विभाग के अधीन अनुभागों द्वारा सम्पादित कार्यो एवं उपलब्धियों का विवरणः—

निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग के द्वारा सम्पादित कार्य

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय,नई दिल्ली/राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष राज्य की ओर से आपराधिक एवं सिविल मामलों में पैरवी हेतु महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकार्ड/पैनल लॉयर/वरिष्ठ अधिवक्ता/ राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उप राजकीय अधिवक्ता/सहायक राजकीय अधिवक्ता/ गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल/एडीशनल गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल/ डिप्टी गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल/असिस्टेंट गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल की नियुक्ति संबंधी कार्य।
2. जिला स्तर पर जिला एंव सैशन न्यायालयों, विशिष्ठ न्यायालयों, अपर जिला एवं सैशन न्यायालयों में आपराधिक सैशन प्रकरणों की पैरवी हेतु लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति, सेवा वृद्धि, सेवा मुक्ति, कार्यकुशलता, शिकायतों आदि से संबंधित कार्य।
3. निदेशालय राजकीय वादकरण, राजकीय अधिवक्ता जयपुर/जोधपुर एंव समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक एंव अपर लोक अभियोजकगण के कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति/ पदस्थापन/ स्थानान्तरण/ अनुशासनात्मक कार्यवाही/ वरिष्ठता/ पदोन्नति/ चयनित वेतनमान संबंधित कार्य।
4. जिला न्यायाधीश एवं अन्य समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से सिविल मामलों की पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति, सेवा वृद्धि, सेवा मुक्ति, कार्यकुशलता, शिकायतों आदि से संबंधित कार्य।
5. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता जयपुर/ जोधपुर एंव समस्त जिलों के लोक अभियोजक/ विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एंव

21/01/2016

उनके कार्यालयो के मंत्रालयिक कर्मचारियों के चिकित्सा/ यात्रा/ वेतन/ फीस/ कार्यालय व्यय हेतु बजट आवंटन संबंधित कार्य।

6. विधि विभाग द्वारा नियुक्त/नियंत्रित अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं उनके कार्यालयों में पदस्थापित मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा दायर न्यायिक प्रकरणों में राज्य पक्ष की ओर से बचाव संबंधित कार्य।
7. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता जयपुर/ जोधपुर एवं समस्त जिलों के लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एंव उनके कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन/चिकित्सा/ यात्रा/फीस/कार्यालय व्यय हेतु बी.एफ.सी./ अंक मिलान संबंधी कार्य।
8. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य की ओर से नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड का वेतन एंव पैनल लॉयर/ वरिष्ठ अधिवक्ता को फीस का भुगतान एंव उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ में नियुक्त महाधिवक्ता, अति0 महाधिवक्ता को देय विशेष फीस बिलों का भुगतान संबंधी कार्य।
9. सचिवालय स्थित वादकरण निदेशालय में पदस्थापित विधि अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/यात्रा/चिकित्सा व्यय बिलों का भुगतान एवं वेतन नियतन संबंधी कार्य।
10. सूचना के अधिकार के तहत विधि वादकरण से संबंधित मांगी गई जानकारियों से संबंधित कार्य।
11. विधि वादकरण से संबंधित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर का कार्य।

विधि (प्रकोष्ठ–4) विभाग के द्वारा सम्पादित कार्य

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर द्वारा निर्णित आपराधिक प्रकरणों के विरूद्ध अपील/नो अपील का विनिश्चय
2. माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर आपराधिक प्रकरणों में पैनल लॉयर/ एडवोकेट ऑन रिकार्ड की नियुक्ति
3. माननीय उच्चतम न्यायालय में नियुक्त पैनल लॉयर/ वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रेषित फीस बिलों का भुगतान

21/01/2022

4. आपराधिक प्रकरणों से संबंधित विविध कार्य

विधि (प्रकोष्ठ–4) वादकरण, विभाग के द्वारा सम्पादित कार्य

राजस्थान के सभी जिलों में स्थित सैशन/अपर सैशन न्यायालयों/ विशिष्ठ न्यायालयों–एन.डी.पी.एस./एस.सी.एस.टी./ए.सी.डी./महिला उत्पीडन/जाली नोट/प्रिन्टिंग स्टेशनरी/ डकैती प्रभावी क्षेत्र/साम्प्रदायिक दंगे/डेजिग्नेटेड कोर्ट द्वारा दिये गये सभी निर्णयों एंव मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा जमानती/संज्ञेय आपराधिक प्रकरणों में दिये गये निर्णयों के विरूद्ध अपील दायर करने/नहीं करने के क्रम में निर्णयों का परीक्षण संबंधी कार्य।

विधि (प्रकोष्ठ–5) रिट शाखा के द्वारा सम्पादित कार्य

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता की सामान्य फीस पर नियुक्ति संबंधी कार्य।
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के पारित निर्णयों के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य की ओर से एस.एल.पी. पेश करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड/ पैनल लॉयर की नियुक्ति संबंधी कार्य।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में अवमानना मामलों में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी कार्य।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में रिव्यु याचिकायें/ क्यूरेटिव याचिकायें आदि पेश करने संबंधी कार्य।
5. राज्य के बाहर उच्च न्यायालयों में राजस्थान राज्य के मामलों में अपील/नो अपील करने संबंधी कार्य ।
6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता की विशेष फीस पर नियुक्ति संबंधी कार्य।
7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में निजी अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता की उनकी सेवा शर्तों पर नियुक्ति संबंधी कार्य।

21/01/2026

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता की उनकी सेवा शर्तों पर नियुक्ति संबंधी कार्य।
9. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता के विशेष फीस बिलों के निस्तारण संबंधी कार्य।
10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता/निजी अधिवक्ता के फीस बिलों के निस्तारण सबंधी कार्य।
11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित नोटिसों को आवश्यक प्रतिरक्षण हेतु प्रशासनिक विभागों को भिजवाने संबंधी कार्य।
12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के विरूद्ध एस.एल.पी./रिट पिटिशन एंव अवमानना मामलों में अतिरिक्त महाधिवक्ता/ एडवोकेट ऑन रिकार्ड/ पैनल लॉयर की नियुक्ति संबंधी कार्य।
13. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में अन्य राज्य के मामलों में अधिवक्ता (महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता आदि) नियुक्ति फीस आदि एंव अन्य राज्य में राजस्थान राज्य के मामलों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति/फीस आदि संबंधी कार्य।
14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के पैनल पर नियुक्त अधिवक्तागण (अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड/पैनल लॉयर/वरिष्ठ अधिवक्ता) के फीस बिलों के निस्तारण संबंधी कार्य तथा अन्य विविध कार्य।

निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग की उपलब्धियां:–

1. विभागीय आदेश क्रमांक प8(2)राज/वाद/12 दिनांक 30.01.24 के द्वारा विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता संवर्ग के 04 अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक के नवीन पद सृजित किये गये। साथ ही

उक्त नवसृजित कार्यालयों में राजकीय कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु एक–एक कनिष्ठ सहायक एवं एक–एक च0श्रे0कर्मचारी के नवीन पद सृजित किये गये।

2. विभागीय आदेश दिनांक 12.06.24 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच के समक्ष राज्य सरकार के प्रकरणों में पैरवी हेतु नियुक्त विधि अधिकारियों (यथा महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्तागण/ राजकीय अधिवक्तागण व गवर्नमेंट काउन्सिल्स) के पदों का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें जयपुर बैंच में अतिरिक्त महाधिवक्ता के 07 पद एवं असिस्टेन्ट गवर्नमेंट काउन्सिल के 08 पद व जोधपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता के 03 पद, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता का 01 पद, उप राजकीय अधिवक्ता का 01 पद एवं असिस्टेन्ट गवर्नमेंट काउन्सिल का 01 पद बढ़ाये गये है। उक्त नवीन महाधिवक्ताओं के कार्यालयों हेतु निजी सहायक ग्रेड–II के 10, कनिष्ठ सहायक के 20 एवं च0श्रे0कर्मचारी के 10 नवीन पद सृजित किए गये है।

3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच में राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर के कार्यालयों में क्रमशः 04–04 कनिष्ठ सहायक के नवीन पद नियमित वेतन श्रृंखला में सृजित किए गये है।

4. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट वर्ष 2024–25 के बिन्दु सं0 69 में की गयी घोषणा की क्रियान्विति में वकीलों को एकबारीय सहायता प्रदान करने हेतु स्वीकृत राशि 7.50 करोड़ रूपये का BAR COUNCIL OF RAJASTHANको इस विभाग के बजट मद–2014–00–114–04–01–12 सहायतार्थ अनुदान (स्कीम एवं राज्य निधि) से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5. विभागीय आदेश क्रमांक प08(2)राज/वाद/12 दिनांक 30.01.25 के द्वारा विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता संवर्ग के 06 (01 विशिष्ठ लोक अभियोजक एवं 05 अपर लोक अभियोजक) नवीन पद सृजित किए गये। साथ ही उक्त नवसृजित कार्यालयों में 01 शीघ्रलिपिक, 06 कनिष्ठ सहायक व 06 होमगार्ड के नवीन पद सृजित किए गये है।

21/01/2026

6. विभागीय आदेश क्रमांक प08(2)राज/वाद/12 दिनांक 21.05.25 के द्वारा राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता संवर्ग के 04 (02 विशिष्ठ लोक अभियोजक एवं 02 अपर लोक अभियोजक) के नवीन पद सृजित किए गये। साथ ही उक्त नवसृजित कार्यालयों में राजकीय कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु 02 शीघ्रलिपिक, 04 कनिष्ठ सहायक एवं 04 होमगार्ड के नवीन पद सृजित किये गये।

7. विभागीय आदेश क्रमांक प08(2)राज/वाद/12 दिनांक 25.06.25 के द्वारा विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता संवर्ग के 12 (08 लोक अभियोजक, 02 विशिष्ठ लोक अभियोजक एवं 02 अपर लोक अभियोजक) नवीन पद सृजित किये गये। साथ ही उक्त नवसृजित कार्यालयों में राजकीय कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु 08 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, 10 निजी सहायक ग्रेड–II, 12 कनिष्ठ सहायक एवं 12 होमगार्ड के नवीन पद सृजित किए गये है।

8. विभागीय आदेश दिनांक 20.06.24 के द्वारा 01 कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति वर्ष 2024 में एवं आदेश दिनांक 04.07.25 के द्वारा 01 कनिष्ठ सहायक, आदेश दिनांक 08.10.25 के द्वारा 01 कनिष्ठ सहायक तथा आदेश दिनांक 30.10.25 के द्वारा 01 च0श्रे0कर्मचारी के रिक्त पद पर आज दिनांक तक अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गयी है।

9. विभागीय आदेश दिनांक 30.04.25 के द्वारा क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्त नियम, 2017 (संशोधित नियम, 2020) के अन्तर्गत क0स0–II के 02 पदों पर नियुक्ति प्रदान की गयी है।

10. विधि (राजकीय वादकरण) विभाग द्वारा वर्ष 2024 में 01 महिला आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति एवं वर्ष 2025 में 03 मृतक आश्रितों को (02 कनिष्ठ सहायक के पद पर एवं 01 च0श्रे0कर्मचारी के पद पर) को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गयी है।

- विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारीगण/कर्मचारीगण की विभिन्न पदों पर विभागीय आदेशों दिनांक 01.08.2025 एवं 02.08.2025 द्वारा पदोन्नतियां प्रदान की गयीः–

क0सं0	पदनाम	पदोन्नत पदों की संख्या
1	संस्थापन अधिकारी	–
2	प्रशासनिक अधिकारी	05
3	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	16
4	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	60
5	वरिष्ठ सहायक	41
6	कनिष्ठ सहायक	17
7	अति0 निजी सचिव	28
8	निजी सहायक ग्रेड–I	8

विधि (विधायी प्रारूपण) (ग्रुप–2) विभाग द्वारा सम्पादित कार्य/उपलब्धियों का विवरणः–

विधि विभाग की इस शाखा में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से मंत्रिमण्डल आज्ञा सहित प्राप्त विधेयक सत्र के दौरान विधान सभा में पुनःस्थापित किए जाने हेतु विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किये जाते हैं। विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को यथा स्थिति माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति के लिए प्रेषित किया जाता है एवं अनुमति प्राप्त होने पर अधिनियम के रूप में केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, जयपुर के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है।

विधान सभा का सत्र चालू नहीं होने के दौरान प्रख्यापन के लिए प्राप्त अध्यादेश माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किये जाते हैं तथा प्रख्यापन के पश्चात् उनको राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाता है।

21/01/2026

विधि(ग्रुप–2)विभाग के कार्य का सार–संक्षेप (Executive summary)

- विधि (ग्रुप–2) विभाग में विधान सभा संबंधी अत्यावश्यक शासकीय, विधायी कार्य यथा विभिन्न विभागों से प्राप्त अध्यादेशों को तैयार करने एवं उनके प्रख्यापन उपरान्त अध्यादेशों की अधिसूचनाओं के राजपत्र में प्रकाशन कराने तथा विधान सभा सत्र के दौरान प्रतिस्थापक एवं नवीन विधेयकों को तैयार करने, उनका मिलान करने, प्रूफ पढ़ने, संशोधन करने तथा अंतिम रूप से तैयार विधेयकों को विधान सभा में पुरःस्थापन हेतु भिजवाने और विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को अन्तिम रूप देते हुए अधिनियम के रूप में राजपत्र में प्रकाशित कराने संबंधी विधायी कार्यों का सम्पादन किया जाता है। उक्त कार्यों का समयबद्ध एवं त्वरित रूप से निस्तारण किया जाना अनिवार्य होता है।
- वर्ष 2025 में विधान सभा सचिवालय को पुरःस्थापित कराये जाने हेतु प्रेषित 19 विधेयकों में से 01 विधेयक विधानसभा से वापिस लिया गया तथा 18 विधेयकों को विधायिका द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया। साथ ही वर्ष 2024 में प्रेषित 02 विधेयकों को विधानसभा द्वारा 2025 में पारित किये जाने के उपरान्त अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया।
- वर्ष 2021 में पारित 01 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त होने अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया।
- वर्ष 2025 में माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से 03 अध्यादेश प्रख्यापित किये गये।
- माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा 04 विधेयकों को संदेश के साथ राजस्थान विधान सभा को पुनर्विचार हेतु लौटाया गया है।

विधि विभाग की इस शाखा में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से मंत्रिमण्डल आज्ञा सहित प्राप्त विधेयक सत्र के दौरान विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने हेतु विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किये जाते हैं। विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को यथा स्थिति महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय की अनुमति के लिए प्रेषित किया जाता है

21/01/2026

एवं अनुमति प्राप्त होने पर अधिनियम के रूप में केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, जयपुर के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है।

विधान सभा का सत्र चालू नहीं होने के दौरान प्रख्यापन के लिए प्राप्त अध्यादेश महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किये जाते हैं तथा प्रख्यापन के पश्चात् उनको राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाता है।

वर्ष 2025 में विधान सभा सचिवालय को पुरःस्थापित कराये जाने हेतु प्रेषित 19 विधेयकों में से 01 विधेयक विधानसभा से वापिस लिया गया तथा 18 विधेयकों को विधायिका द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया। साथ ही वर्ष 2024 में प्रेषित 02 विधेयकों को विधानसभा द्वारा 2025 में पारित किये जाने के उपरान्त अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया।

वर्ष 2021 में पारित 01 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त होने अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया।

वर्ष 2025 में माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से 03 अध्यादेश प्रख्यापित किये गये।

LIST OF ACTS, 2025

S. No.	Act No.	Title of Act
1.	1/2025	रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2021
2.	2/2025	राजस्थान विनियोग (सं. 1) अधिनियम, 2025
3.	3/2025	राजस्थान विनियोग (सं. 2) अधिनियम, 2025
4.	4/2025	राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025
5.	5/2025	राजस्थान वित अधिनियम, 2025
6.	6/2025	राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2025
7.	7/2025	भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2025
8.	8/2025	बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2025

S. No.	Act No.	Title of Act
9.	9/2025	राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान अधिनियम, 2024
10.	10/2025	राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2025
11.	11/2025	राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2025
12.	12/2025	राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम, 2025
13.	13/2025	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025
14.	14/2025	राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर अधिनियम, 2025
15.	15/2025	राजस्थान विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2025
16.	16/2025	राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2025
17.	17/2025	राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025
18.	18/2025	राजस्थान मत्स्य–क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2025
19.	19/2025	राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2025
20.	20/2025	राजस्थान भू–जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण अधिनियम, 2024
21.	21/2025	राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म–संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025

वर्ष 2025 में 03 अध्यादेश प्रख्यापित करवाया गया हैं:–

LIST OF ORDINANCE, 2025

S. No.	Ordinance No.	Title of Ordinance
1.	1/2025	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025
2.	2/2025	राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025
3.	3/2025	राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025

राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म–संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक सं. 1) विधान सभा से वापस लिया गया है।

माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा 04 विधेयकों को संदेश के साथ राजस्थान विधान सभा को पुनर्विचार हेतु लौटाया गया है।

List of Returned Bills by Hon'ble Governor sent to Assembly With message

S.No.	Bill No.	Title of Bills
1.	**34/2023**	नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023
2.	**35/2023**	राजस्थान विधुत (शुल्क) विधेयक, 2023
3.	**33/2020**	आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020
4.	**23/2019**	राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 की क्रियान्विति से संबंधित उपलब्धिः

प्रदेश में सभी नागरिकों को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे, के लिये प्रदेश में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987(यथासंशोधित) एवं राजस्थान राजय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत् राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व इसके अधीन जिला विधिक सेवा

21/01/2026

प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विधिक सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत निशुल्क विधिक सहायता, विधिक साक्षरता, लोक अदालत, मीडियेशन, पैरालीगर क्लीनिक एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के विभिन्न कमजोर वर्गो के कल्याण के लिये निर्देशित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987(यथासंशोधित) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995(यथासंशोधित) एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999(यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत् प्रदेश में विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में गठित एवं संस्थापित ढ़ांचा निम्नानुसार है:–

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण – राज्य स्तर पर
2. राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति –02– (जयपुर एवं जोधपुर)–उच्च न्यायालय स्तर पर
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण – 44– जिला न्यायालय मुख्यालय स्तर पर
4. तालुका विधिक सेवा समिति –181– अधीनस्थ न्यायालय मुख्यालय तालुका स्तर पर
5. स्थायी लोक अदालत – 36–(24 पूर्णकालिक(सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में संस्थापित) एवं 12 जिला एवं सेशन न्यायाधीश संबंधित न्यायक्षेत्र की अध्यक्षता में संस्थापित एवं कार्यरत) जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय स्तर पर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम एवं विनियम में प्राविधित प्रावधानों के तहत एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उच्च न्यायालय से तालुका स्तर पर निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक साक्षरता, लोक अदालत, मीडियेशन, पैरालीगल क्लीनिक एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निर्देशित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

21/01/2026

विधिक सलाह एवं सहायता

विधिक सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता के क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जरूरतमन्द व्यक्तियों को विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय, जिला एवं तालुका स्तर पर शिक्षित पैनल अधिवक्तागण एवं रिटेनर अधिवक्तागण का चयन किया गया। जिनके माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2025–26 के दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में प्रदेश में आयोजित विधिक सेवा कार्यक्रम एवं उपलब्धियों का विवरण :–

- राजस्थान प्रदेश में विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के प्रभावी कियान्वयन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण **'विधिक सेवा सदन'** का 04 जनवरी, 2025 को माननीय न्यायाधिपति श्री बी.आर गवई, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय भारत एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के करकमलों द्वारा उद्घाटन किया गया। इस विधिक सेवा सदन के माध्यम से एक ही छत के नीचे आमजन को मध्यस्थता, आबिट्रेशन एवं विधिक सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है।
- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2025 को रालसा वन एवं बालिका वर्ष, 2025 के रूप में मनाते हुए **'सृजन की सुरक्षा'** योजना जारी की गयी, जिसके माध्यम से 36 ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर प्रत्येक बालिका के जन्म पर 11 वृक्षों का रोपण किया जाकर उन गांवों का पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है तथा "नवजात हरित बालिकाओं" को एक विशेष पहचान पत्र दिया जायेगा जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी एवं विधिक सहायता संबंधी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवायी जायेगी।
- माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री एम.एम. श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन एवं अनुमोदन के तहत, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कॉस्ट फण्ड से एक छात्रवृत्ति **''उड़ान योजना''** प्रदान करने की एक अनूठी पहल की गई है। यह छात्रवृत्ति कार्यक्रम 06

से 18 वर्ष की आयु के 100 दिव्यांग बच्चों के लिए 02 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है। रालसा के कोस्ट फण्ड से **100 विशेष योग्य बच्चों को छात्रवृत्ति** उपलब्ध करवायी जा रही है।

- उक्त अवधि में **"न्याय रो सारथी"** नामक द्विमासिक विधिक समाचार–पत्र का प्रकाशन समाचार–पत्रों में कर आमजन को नालसा/रालसा विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है।
- माह जुलाई 2025 से सितम्बर 2025 तक **"मीडियेशन फॉर नेशन"** अभियान के तहत् विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्र निस्तारण का एक विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है। "मीडियेशन फॉर नेशन" अभियान के तहत् मध्यस्थता हेतु कुल 1,52,436 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 20,724 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
- **बंदियों अभियुक्तगण के अधिकारों को संरक्षित** करने के लिये विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ताओं को 01 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा **विधिक सेवा दिवस–2025** के अवसर पर विशेष योग्यजन बच्चों हेतु विधिक जागरूकता अभियान(**RSLSA#SportsForAwareness2025-"UDAAN-2.0"**) विशेष योग्यजन बच्चों में विधिक जागरूकता बढ़ाने एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से दिनांक 06 सितम्बर, 2025 से 25 सितम्बर, 2025 तक जिला मुख्यालय स्तर पर खेलकूद गतिविधियों के माध्यम से किया गया। इस अभियान के अंतर्गत कबड्डी, बोच्ची बॉल, लंबी कूद, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस तथा पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके पश्चात 27 सितम्बर, 2025 से 17 अक्टूबर, 2025 तक संभागीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 03 माह का विशेष अभियान **'न्याय आपके द्वार–लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान अभियान'** दिनांक 09, नवम्बर, 2025 से प्रारम्भ किया गया। उक्त अभियान दिनांक 10.11.2025 से 10.02.2026 तक 03 चरणों में संचालित किया जायेगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को

21/01/2026

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हैल्पलाईन नम्बर के माध्यम से प्रथम चरण में 7801 प्रकरण प्राप्त हुए जिन्हें संबंधित स्थाई लोक अदालत में अग्रेषित किया गया।

नियमित विधिक सेवा कार्यक्रम व गतिविधियां वर्ष 2025

1. अप्रेल 2025 से नवम्बर 2025 के दौरान 11,775 व्यक्तियों को **विधिक सहायता** प्रदान की गयी।
2. अप्रेल 2025 से नवम्बर 2025 के दौरान 42,405 **विधिक साक्षरता शिविर** आयोजित हुए, जिनमें 19,20,016 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
3. अप्रेल 2025 से नवम्बर 2025 के दौरान **राष्ट्रीय लोक अदालत** में 1,03,93,545 प्रकरण निस्तारित हुए एवं राशि रूपये 21,42,49,22,100 का अवार्ड पारित हुआ।
4. अप्रेल 2025 से नवम्बर 2025 के दौरान **राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम** के तहत् 1,347 पीडितों को लाभान्वित किया गया।
5. अप्रेल 2025 से नवम्बर 2025 के दौरान **लीगल एड क्लिनिक** में 5,607 प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण किया गया।
6. **'स्वतंत्रता दिवस–2025'** के अवसर पर दिनांक 15.08.2025 को राजस्थान राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के समन्वय से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सम्पूर्ण राज्य में 356 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये गये जिनमें 25,392 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
7. दिनांक 12.10.2025 को **"Strategizing and monitoring Outreach and Awareness at Grassroots Level"** विषय पर एक कार्यशाला का सफल संचालन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कॉन्फ्रेस हॉल में किया गया। उक्त कार्यक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश Sh. Ahsanuddin Amanullah पधारे।
8. **संविधान दिवस'** दिनांक 26.11.2025 के उपलक्ष्य में अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग पर संविधान की प्रस्तावना एवं रैली का सफल आयोजन करवाया गया जिसमें सभी सम्मानीय न्यायाधिपतिगण व अधिकारीगण उपस्थित रहे।

21/01/2026

9. स्थाई लोक अदालतों के अध्यक्षगण/सदस्यगण हेतु दिनांक 17.11.2025 से 21.11.2025 तक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा **40 घण्टे के मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम** का सफल आयोजन राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में किया गया।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (अनुभाग–1) की सम्पादित कार्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार है:–

सम्पादित कार्य

1. विधि एवं विधिक कार्य (अनुभाग–1) के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से विभिन्न स्तर के नवीन न्यायालयों की स्थापना, विशेष न्यायालयों की स्थापना, कैम्प कोर्टों की स्थापना, न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन प्रदान करने का कार्य।
2. राजस्थान न्यायिक सेवा के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति संबंधी कार्य।
3. विधि (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) के पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति एवं पदस्थापन संबंधी कार्य।
4. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का संस्थापन संबंधी कार्य।
5. माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों हेतु बजट आवंटन संबंधी कार्य।
6. माननीय न्यायाधिपतिगण के राजकीय बंगलों में परिवर्तन, परिवर्धन संबंधी कार्य।
7. राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन संबंधी कार्य।
8. नोटरी पब्लिक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राधिकार प्रमाण–पत्र जारी करने तथा नवीनीकरण संबंधी कार्य।
9. विधि विभाग से संबंधी विधान सभा प्रश्नों ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख प्रस्तावों संबंधी कार्य।

उपलब्धियां

1. राज्य के 08 जिलों यथा ब्यावर, सलूम्बर, फलौदी, डीडवाना–कुचामन, डीग, खैरथल–तिजारा, कोटपूतली–बहरोड़ एवं बाड़मेर में 08 नवीन सेंशन खण्डों का गठन कर 08 नवीन जिला एवं सेशन न्यायालयों की स्थापना की गई।
2. राज्य के 08 जिलों यथा ब्यावर, सलूम्बर, फलौदी, डीडवाना–कुचामन, डीग, खैरथल–तिजारा, कोटपूतली–बहरोड़ एवं बाड़मेर में 08 नवीन वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना की गई।
3. 04 अतिरिक्त जिला एवं सेंशन न्यायालय, नदबई जिला भरतपुर, चाकसू जिला जयपुर, केशोरायपाटन जिला बूंदी एवं बर जिला ब्यावर में स्थापना की गई।
4. 03 विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), झुंझुनू, प्रतापगढ़, एवं टोंक में स्थापना की गई।
5. 04 विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), बीकानेर, जोधपुर मेट्रो, हनुमानगढ़ एवं सवाईमाधोपुर में स्थापना की गई।
6. 02 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, पहाड़ी(कामां) जिला डीग एवं खैरथल–तिजारा में स्थापना की गई।
7. राजस्थान न्यायिक सेवा सीधी भर्ती परीक्षा–2024, में चयनित कुल 222 अभ्यार्थियों को नियुक्ति दी गई।
8. राजस्थान न्यायिक सेवा में जिला जज संवर्ग की सीधी भर्ती परीक्षा–2024, में चयनित कुल 01 अभ्यार्थी को नियुक्ति दी गई।
9. कनिष्ठ विधि अधिकारी–2023 भर्ती परीक्षा में जारी 140 पदों में से 139 पदों पर नियुक्ति दी गई।
10. एक अभ्यर्थी को दिनांक 21.05.2025 को कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।
11. विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा 2021 के अन्तर्गत विधि रचनाकार के पद पर 1 अभ्यर्थी को दिनांक 30. 04.2025 को नियुक्ति प्रदान की गई।

2/10/2025

12. विधि परीक्षा–2024 के अन्तर्गत 09 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कीजा चुकी है जिसमें से 08 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई।
13. नोटेरी पब्लिक के 75नोटेरी प्राधिकार प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण गया।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (अनुभाग–1)वर्ष 2025–26में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गयाः–

1. S.N.J.PC की सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को Higher Qualification Allowanceके आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि राशि का भुगतान करने हेतु राशि रुपये 8212.12 लाख की स्वीकृति दिनांक 15.04.2025 को जारी की गयी।
2. राजस्थान उच्च न्यायालय बैच जयपुर में स्थापित 11K.V. Sub Station Replacementके लिए राशि रुपये 370.64 लाख की स्वीकृति दिनांक 13.05.2025 को जारी की गयी।
3. नवनियुक्त 4 माननीय न्यायाधिपतिगणों के आवास एवं कार्यालय उपयोग हेतु 10 All-in-one PC, 5 Printer, 4 Laptop and 4 cisco webex VC Licenceक्रय करने हेतु राशि रुपये 28.95 लाख की स्वीकृति दिनांक 05.05.2025 को जारी की गयी।
4. माननीय न्यायाधिपतिगणों के उपयोग हेतु लेपटॉप, All-in-one PC, Printer and 40नवीन टेबलेटस क्रय करने हेतु मय CUG SIM, क्रय करने के लिए राशि रुपये 28.05 लाख की स्वीकृति दिनांक 05.05.2025 को जारी की गयी है।
5. ई–कोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3 के अन्तर्गत 59 न्यायालयों परिसरों में सौर पैनल के लिए राशि रुपये 185800/– की स्वीकृति दिनांक 09.05.2025 को जारी की गयी।
6. नवनियुक्त 222 सिविल जज कैडर के न्यायिक अधिकारियों के लिए लैपटॉप क्रय करने हेतु राशि रुपये 182.04 लाख की स्वीकृति दिनांक 19.05.2025 को जारी की गयी।
7. judicial infrastructure की बैठक दिनांक 24.05.2024 के संदर्भ में संशोधित निर्माण कार्यों एवं नवीन कार्यों हेतु राशि रूपये 4333.61 लाख की स्वीकृति दिनांक 06.05.2025 को जारी की गयी।

21/01/2026

8. जिला न्यायाधीश संवर्ग के विशेष न्यायाधीशों के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में 50 maruti suzuki ciaz alpha SHVS Petrol AT वाहन क्रय करने हेतु राशि रूपये 560.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 21.05.2025 को जारी की गयी।
9. राजस्थान उच्च न्यायालय में रजिस्ट्री के न्यायिक अधिकारियों के लिए 9 नवीन वाहन क्रय करने हेतु राशि रूपये 100.08 लाख की स्वीकृति दिनांक 21.05.2025 को जारी की गयी।
10. माननीय न्यायाधिपतिगण हेतु उपलब्ध कराये गए पुराने वाहनों के स्थान पर 5 नवीन वाहन Toyota Innova hycross hybrid ZX 7s क्रय करने हेतु राशि रूपये 160.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 21.05.2025 को जारी की गयी।
11. मिनी सचिवालय, अलवर में निर्माणाधीन न्यायालय परिसर हेतु फर्नीचर एवं अन्य कार्यों के लिए राशि रूपये 6.84 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 21.05.2025 को जारी की गयी।
12. पशुपालन विभाग, गांधीनगर, जयपुर परिसर में पारिवारिक न्यायालय निर्माण हेतु राशि रूपये 39.38 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 21.05.2025 को जारी की गयी।
13. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नवीन भवन के रखरखाव एवं अनुरक्षण हेतु राशि रूपये 500.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 21.05.2025 को जारी की गयी।
14. स्टेट लेवल कमेटी फॉर ज्यूडिशियल की बैठक के क्रम में विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के कार्य हेतु राशि रूपये 25.70 लाख की स्वीकृति दिनांक 21.05.2025 को जारी की गयी।
15. राज्य में विभिन्न न्यायालयों में जहा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है (Litigant shed, ladies toilet, creche)के निर्माण हेतु राशि रूपये 250.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 25.05.2025 को जारी की गयी।
16. कोर्ट कॉम्पलेक्स, श्री करणपुर जिला गंगानगर में पार्किंग शेड बनाने हेतु राशि रूपये 16.51 लाख की स्वीकृति दिनांक 25.05.2025 को जारी की गयी।

17. 511 न्यायिक अधिकारियों के लिए लीगल सॉप्टवेयर के टू इयर सब्सक्रिप्शन के साथ क्रय करने हेतु राशि रूपये 45.23 लाख की स्वीकृति दिनांक 26.05.2025 को जारी की गयी।

18. राजस्थान उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक अनुभागों में ई–ऑफिस लाइट के क्रियान्यवन हेतु हार्डवेयर उपकरण क्रय करने के लिए राशि रूपये 132.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 27.05.2025 को जारी की गयी।

19. हिण्डौन सिटी स्थित न्यायालय भवनों में पानी भराव की समस्या के समाधान हेतु राशि रूपये 61.25 लाख की स्वीकृति दिनांक 27.05.2025 को जारी की गयी।

20. जिला एवं सेशन न्यायालय, दौसा को आवंटित राजकीय वाहन के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के कारण नवीन वाहन टाटा सफारी स्मार्ट बी.एस.सी. क्रय करने के लिए राशि रूपये 16. 58 लाख की स्वीकृति दिनांक 27.05.2025 को जारी की गयी।

21. ग्राम न्यायालय तालेडा जिला बूंदी हेतु नवीन वाहन क्रय करने के लिए राशि रूपये 10. 70 लाख की स्वीकृति दिनांक 27.05.2025 को जारी की गयी।

22. नवसृजित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय फागी, जिला जयपुर मुख्यालय में स्थित कोर्ट कॉम्पलेक्स के द्वितीय तल पर भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 229.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 30.05.2025 को जारी की गयी।

23. नवसृजित होने वाले न्यायालयों के कार्य संचालन के लिए नवीन आइटम क्रय करने हेतु राशि रूपये 18.35 लाख की स्वीकृति दिनांक 10.06.2025 को जारी की गयी।

24. जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर में पूर्व स्थापित दो डीजी सेट के स्थान पर 320 के. वी.ए. का एक नवीन डीजी सेट क्रय करने हेतु राशि रूपये 40.12 लाख की स्वीकृति दिनांक 17.06.2025 को जारी की गयी।

25. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के लिए 50 कुर्सियां (3 सीटर बेंच) क्रय करने हेतु राशि रूपये 18.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 18.06.2025 को जारी की गयी।

26. दौसा मुख्यालय पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) के राजकीय आवास निर्माण हेतु स्वीकृत राशि रूपये 66.79 लाख के स्थान पर राशि रूपये 69.91 लाख की स्वीकृति दिनांक 27.06.2025 को जारी की गयी।

21/01/2026

27. D.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 3657/2020 के क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर दौसा मुख्यालय पर 6 न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि रूपये 834.40 लाख के स्थान पर राशि रूपये 926. 90 लाख की संशोधित स्वीकृति दिनांक 02.07.2025 को जारी की गयी।

28. ग्राम न्यायालय जायल को पुराने वाहन को नकारा घोषित किए जाने के कारण (रिप्लेसमेंट) नीवन वाहन क्रय करने के लिए जारी रूपये 10.70 लाख की स्वीकृति दिनांक 08.07.2025 को जारी की गयी।

29. दिनांक 06.05.2025 को माननीय बिल्डिंग कमेटी के साथ वित्त विभाग की बैठक के लिए गए निर्णय के क्रम में विभिन्न कार्य (36 cctv camera, hv a.c., compactors, procurement of cctv camera etc.) के लिए राशि रूपये 1100.13 लाख की स्वीकृति दिनांक 10.07.2025 को जारी की गयी।

30. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, केशवरायपाटन, झालावाड़ में द्वितीय श्रेणी का राजकीय आवास निर्माण हेतु राशि रूपये 66.79 लाख की स्वीकृति दिनांक 17.07.2025 को जारी की गयी।

31. स्पाउस (पति–पत्नी) दोनों में न्यायिक अधिकारियों को फर्नीचर एवं एयर कंडीशनर भत्ता देय होने के कारण एरियर भुगतान हेतु राशि रूपये 312 लाख की स्वीकृति दिनांक 17. 07.2025 को जारी की गयी।

32. परिविक्षा काल में भी न्यायिक अधिकारियों को फर्नीचर एवं ए.सी. भत्ता स्वीकृत होने के कारण उक्त भत्ते का एरियर भुगतान करने हेतु राशि रूपये 460.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 17.07.2025 को जारी की गयी।

33. नवसृजित 8 जिलों ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना–कुचामन, डीग, खैरतल–तिजारा, कोटपुतली–बहरोड़, फलौदी एवं सलूंबर के न्यायाधीशों को (आठ प्रमुख जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं आठ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट) 16 नवीन वाहन क्रय करने हेतु राशि रूपये 218.24 लाख की स्वीकृति दिनांक 21.07.2025 को जारी की गयी।

21/01/2026

34. The 2025 WIPO Intellectual property judges forum में माननीय न्यायाधिपति श्री विनीत कुमार माथुर द्वारा भाग लेने हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य व्ययों के भुगतान के लिए राशि रूपये 7.55 लाख की स्वीकृति दिनांक 22.07.2025 को जारी की गयी।

35. ग्राम न्यायालय खेरवाडा जिला उदयपुर को वर्ष 2010 में आवंटित वाहन नकारा घोषित किए जाने से रिप्लेस्मेंट बेसिस पर नवीन वाहन क्रय करने हेतु राशि रूपये 10.70 लाख की स्वीकृति दिनांक 22.07.2025 को जारी किया गया।

36. 1079 (1348–269) अधीनस्थ न्यायालय/विशिष्ट न्यायालयों के न्यायालय कक्षों में ए.सी. क्रय करने हेतु राशि रूपये 539.50 लाख की स्वीकृति दिनांक 23.07.2025 को जारी की गयी।

37. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर अनुशंसित एवं बीकानेर जिला मुख्यालय स्थित पुराने न्यायालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण एवं विद्युतीकरण संबंधित कार्य हेतु राशि रूपये 37.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 23.07.2025 को जारी की गयी।

38. राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर के ऑफिसर हॉस्टल के लिए 30 अलमारी एवं 10 स्टडी टेबल हेतु राशि रूपये 3.60 लाख की स्वीकृति दिनांक 24.07.2025 को जारी की गयी।

39. नवसृजित विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–बारां के संचालन के लिए जिला न्यायालय बारां परिसर में पुस्तकालय एवं रिक्रिएशन रूम, हॉल में डाइस चेंबर, स्टाफ रूम, पी.पी. रूम, निजी सहायक रूम एवं टॉयलेट आदि के निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 17.96 लाख की स्वीकृति दिनांक 24.07.2025 को जारी की गयी।

40. डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नंबर 3657/2020 के क्रम में विद्वान महाधिवक्ता के साथ आयोजित बैठक दिनांक 27.03.2025 की पालना में प्राथमिकता के आधार पर अनुशंसित कार्य फलौदी स्थित न्यायालय में आवश्यक मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रूपये 13.91 लाख की स्वीकृति दिनांक 24.07.2025 को जारी की गयी।

21/01/2026

41. जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर जिला जयपुर को आवंटित राजकीय पुल वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के कारण मरम्मत पेटे राशि रूपये 0.76 लाख की स्वीकृति दिनांक 31.07.2025 को जारी की गयी।

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.01.2025 (सिविल रिट पिटिशन नंबर 643/2015) के क्रम में श्री महेन्द्र सिंह–2, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को सी.एस. सी. डी.जे. के नोडल अधिकारी के रूप में 75000 प्रति माह मानदेय और यात्रा के लिए टी.ए. /डी.ए. की स्वीकृति दिनांक 05.08.2025 को जारी की गयी।

43. अधीनस्थ न्यायालयों के अनुपयोगी 933 कूलरों के स्थान पर 933 कूलर हेतु राशि रूपये 139.95 लाख की स्वीकृति दिनांक 05.08.2025 को जारी की गयी।

44. एस.एन.जे.पी.सी. की सिफारिशों के तहत राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग के आदेश दिनांक 07.06.2025 के क्रम में न्यायिक अधिकारियों के परिवहन भत्ते में बढी हुई अंतर राशि के एरियर भुगतान हेतु राशि रूपये 112.38 लाख की स्वीकृति दिनांक 05.08.2025 को जारी की गयी।

45. माननीय सवोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2025 की अनुपालना में न्यायालय परिसर भवन में नवीन टॉयलेट ब्लॉक निर्माण एवं मौजूदा टॉयलेट ब्लॉक मोडिफिकेशन करने हेतु राशि रूपये 2232.83 लाख की स्वीकृति दिनांक 13.08.2025 को जारी की गयी।

46. लेखामद 4059–80–051–03–01–17–वृहद निर्माण कार्य में निर्माण कार्यकारी एजेंसी आर.एस.आर.डी.सी. के निजी निक्षेप खाते में राशि रूपये 1500 लाख की हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति दिनांक 19.08.2025 को जारी की गयी।

47. माननीय न्यायाधिपतिगणों के लिए उपलब्ध कराये गए तीन वर्ष से अधिक पुराने तीन लेपटोप के स्थान पर तीन नवीन लेपटोप क्रय करने हेतु राशि रूपये 6 लाख की स्वीकृति दिनांक 22.08.2025 को जारी की गयी।

48. SNJPCकी सिफारिशों के तहत नवसृजित आठ प्रमुख जिला एवं सेशन न्यायाधीश (बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना–कुचामन, डीग, खैरतल–तिजारा, कोटपुतली–बहरोड़, फलौदी

21/01/2026

एवं सलूम्बर) को राजकीय आवासों की अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए राशि रूपये 80 लाख की स्वीकृति दिनांक 26.08.2025 को जारी की गयी।

49. SNJPCकी सिफारिशों के क्रम में गठित सक्षम समिति की बैठक दिनांक 27.02.2025 में जिन न्यायिक अधिकारियों को शासकीय वाहन उपलब्ध नहीं कराये गए है, को पेट्रोल/परिवहन भत्ता भुगतान करने हेतु राशि रूपये 129.34 लाख की स्वीकृति दिनांक 26.08.2025 को जारी की गयी।

50. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जमादारों, वाहन चालकों, अग्रिम वेतन वृद्धि के कारण देय एरियर राशि का भुगतान करने हेतु राशि रूपये 336 लाख की स्वीकृति दिनांक 26.08.2025 को जारी की गयी।

51. माननीय न्यायाधिपतिगणों के बंग्लों एवं गेस्ट हाउस की मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रूपये 580 लाख की स्वीकृति दिनांक 28.08.2025 को जारी की गयी।

52. माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं एक न्यायाधिपति महोदय का राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होने एवं 7 नवनियुक्त न्यायाधिपतिगणों के आवास एवं कार्यालय उपयोग हेतु 18 ALL-IN-ONE PC, 9 MULTI FUNCTIONAL PRINTER/4 CISCO WEBEX VC LICENCEक्रय करने हेतु राशि रूपये 36.55 लाख की स्वीकृति दिनांक 03.09.2025 को जारी की गयी।

53. SNJPC की स्वीकृत अनुशंसाओं के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों को हायर क्वालिफिकेशन के आधार पर एडवांस ग्रेड इन्क्रीमेंट के डिस्टर्बेंस अलावेंस की अंतर एरियर राशि का भुगतान हेतु 135.46 लाख की स्वीकृति दिनांक 03.09.2025 को जारी की गयी।

54. प्रतापगढ़ मुख्यालय पर निर्माणाधीन कोर्ट कॉम्पलेक्स हेतु नीवन आइटम क्रय करने हेतु राशि रूपये 39.73 लाख की स्वीकृति दिनांक 04.09.2025 को जारी की गयी।

55. नवसृजित आठ जिला एवं सेशन न्यायाधीशों न्यायिक क्षेत्र में न्यायिक भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रूपये 92.7 लाख की स्वीकृति दिनांक 08.09.2025 को जारी की गयी।

21/01/2026

56. राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर एवं पीठ जयपुर स्थित न्यायालयों में पूर्व में स्थापित बी.सी. हार्डवेयर आईटम्स की ए.एम.सी. हेतु राशि रूपये 14.81 लाख की स्वीकृति दिनांक 08.09.2025 को जारी की गयी।

57. द्वितीय पंचवर्षीय ब्लॉक 2021–25 को 216 नवीन प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को परिवीक्षाकाल में फर्नीचर (प्रति न्यायिक अधिकारी राशि रूपये 1.25 लाख) एवं ऐयर कन्डीशनर (प्रति न्यायिक अधिकारी 0.75 लाख) कुल राशि रूपये 432.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 12.09.2025 को जारी की गयी।

58. माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, के उपयोग हेतु नवीन वाहन टोयोटा केमरी प्लेटिनम क्रय करने के लिए राशि रूपये 43.39 लाख की स्वीकृति दिनांक 12.09.2025 को जारी की गयी।

59. सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर न्यायालय भवनों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासों के निर्माण हेतु राशि रूपये 126.43 लाख की स्वीकृति दिनांक 18.09.2025 को जारी की गयी।

60. अनुपगढ़ मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के टाईप 1 राजकीय आवास निर्माण हेतु राशि रूपये 91.64 लाख के स्थान पर राशि रूपये 111.31 लाख की स्वीकृति दिनांक 18.09.2025 को जारी की गयी।

61. जिला एवं सेशन न्यायाधीश बांसवाडा के स्पेशल टाइप 1 राजकीय आवास निर्माण हेतु राशि रूपये 137.12 लाख के स्थान पर 189.35 लाख की स्वीकृति दिनांक 19.09.2025 को जारी की गयी।

62. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा D.B. Civil Petition no. 3651/2020 में पारित आदेश के क्रम में न्यायालय भवन एवं न्यायिक आवासों के निर्माण हेतु राशि रूपये 4009.41 लाख की स्वीकृति दिनांक 26.09.2025 को जारी की गयी।

63. 42 कोर्ट कॉम्पलेक्स में ई–सेवा केन्द्र के अन्तर्गत पोर्टा केबिन हेतु कुल राशि रूपये 205. 31 लाख में से राशि रूपये 89.38 लाख उपयोग पश्चात शेष राशि 115.39 लाख की स्वीकृति दिनांक 13.10.2025 को जारी की गयी।

21/01/2026

64. राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर स्थित न्यायालय संख्या 25 के लिए वी.सी. हार्डवेयर उपकरण क्रय करने हेतु राशि रूपये 6.08 लाख की स्वीकृति दिनांक 13.10. 2025 को जारी की गयी।

65. ब्यावर जिला मुख्यालय पर संचालित 5 न्यायालय भवनों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जर्जर घोषित किये जाने के कारण किराया, कर एवं रॉयल्टी में राशि रूपये 35.40 लाख की स्वीकृति दिनांक 24.10.2025 को जारी की गयी।

66. 45 नवसृजित अधीनस्थ न्यायालयों में वी.सी. सेटअप उपलब्ध कराने हेतु राशि रूपये 45. 00 लाख की स्वीकृति दिनांक 29.10.2025 को जारी की गयी।

67. ग्राम न्यायालय राजगढ़ (चुरू), दौसा एवं रेलमगरा (राजसमन्द) को आवंटित मारूति जिप्सी के स्थान पर 3 नवीन वाहन महिन्द्रा बोलेरो नीयोन 4 ऑप्शनल 1356 क्रय करने हेतु राशि 32.10 लाख की स्वीकृति दिनांक 13.11.2024 को जारी की गयी।

68. राजस्थान उच्च न्यायालय बैच जयपुर में स्थापित X-Ray Baggage Scanner and Door Frame Detector कोReplaceकरने हेतु राशि रूपये 99.38 लाख की स्वीकृति दिनांक 14.11.2025 को जारी की गयी।

69. ग्राम न्यायालय बीकानेर को वर्ष 2010 में आवंटित मारूति जिप्सी वाहन के स्थान पर नवीन वाहन Mahindra Bolero Neo N-4 BS-6.2 क्रय करने हेतु राशि रूपये 9.33 लाख की स्वीकृति दिनांक 14.11.2025 को जारी की गयी।

70. राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण हेतु नवीन आईटम क्रय करने के लिए राशि रूपये 10.01 लाख की स्वीकृति दिनांक 18.11.2025 को जारी की गयी।

71. राजस्थान उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई करने हेतु 40 CISCO WEBEX license क्रय करने के लिए राशि रूपये 4.50 लाख की स्वीकृति दिनांक 18.11.2025 को जारी की गयी।

72. दिनांक 01.01.2020 के पश्चात जिन न्यायिक अधिकारियों को Suitable and Govt. Accommodationउपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किराये के मकान में रहवास करने

पर किराया HRAराशि की सीमा तक अन्तर राशि का पुनर्भरण हेतु राशि रूपये 671.34 लाख की स्वीकृति दिनांक 24.11.2025 को जारी की गयी।

73. ग्राम न्यायालय हनुमानगढ़ एवं ग्राम न्यायाललय गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर को आवंटित मारूति जिप्सी वाहनों को नकारा घोषित किए जाने के कारण उनके स्थान पर दो नवीन वाहन क्रय करने हेतु राशि रूपये 18.66 लाख की स्वीकृति दिनांक 24.11. 2025 को जारी की गयी।

74. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के नवीन भवन की फायर सेप्टी ऑडिट रिपोर्ट के क्रम में न्यू मॉडिफिकेशन इलेक्ट्रिक वर्क करवाने हेतु राशि रूपये 475.38 लाख की स्वीकृति दिनांक 24.11.2025 को जारी की गयीं।

75. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की फुल कोर्ट मीटिंग जैसलमेर में आयोजित होने वाले वेस्ट जोन रिजनल कॉन्फ्रेंस हेतु राशि रूपये 240 लाख की स्वीकृति दिनांक 03.12.2025 को जारी की गयी।

76. राजस्थान उच्च न्यायालय की टेक्निकल डवलपमेंट टीम हेतु 10 डेस्कटोप मशीन क्रय करने के लिए राशि रूपये 10 लाख की स्वीकृति दिनांक 04.12.2025 को जारी की गयी।

77. ग्राम न्यायालय गडी एवं ग्राम न्यायालय तलवाड़ा बांसवाड़ा में वर्ष 2010 में आवंटित मारूति जिप्सी के स्थान पर 2 नवीन वाहन क्रय करने हेतु राशि रूपये 18.66 लाख की स्वीकृति दिनांक 08.12.2025 को जारी की गयी।

78. न्यायालय परिसर अजमेर स्थिति 40 न्यायालयों में पक्षकारान एवं अधिवक्ता गणों के बैठन हेतु 90 स्टील बेंच क्रय करने के लिए राशि रूपये 9.56 लाख की स्वीकृति दिनांक 16.12.2025 को जारी की गयी।

प्रमुख शासन सचिव
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर